(114)

10 रु. न्यायालय शुल्क COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

10 रु. न्यायालय शुल्क COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

III/विविध/अनूपपुर/भू-रा/2017/2296

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक /2017 जिला-अनूपपुर

मोहम्मद अबरार पुत्र स्व श्री अब्दुल हफीज आयु 55 साल
निवासी – कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.) -- आवेदक

विरूद्ध

हाजी मोहम्मद हनीफ पुत्र स्व श्री हाजी नई मुल्ला आयु 70 साल निवासी कोतमा जिला – अनूपपुर (म.प्र.)
– अनावेदक

दिनांक 22.7.17 को श्री के० के० द्विवेदी अधि० द्वारा प्रस्तुत।

22.7.17
SO

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अधीन आवेदन-पत्र।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील कोतमा जिला अनूपपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 29.06.2017 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक III/निग/अनूपपुर/भू.रा./2017/2195 प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश दिनांक 13.07.2017 पारित किया गया है। (आदेश की फोटो प्रति संलग्न है)

2. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष जो निगरानी प्रस्तुत की गयी थी उसमें पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 में लिपिकीय त्रुटिवंश (पुनश्च करके) एवं दिनांक (07.07.2017) का उल्लेख किया गया है जबकि वास्तविक रूप से (पुनश्च करके) शब्द विलोपित किया जाना एवं दिनांक के स्थान पर (29.06.2017) स्थापित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतएव निवेदन है कि आवेदन-पत्र स्वीकार कर आदेश में उल्लेखित (पुनश्च करके) विलोपित किया जाकर दिनांक 07.07.2017 के स्थान पर (29.06.2017) स्थापित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जाये।

K.K. Dwivedi 22.7.17

स्थान : ग्वालियर
दिनांक : 22.07.2017

निवेदक
मोहम्मद अबरार पुत्र स्व श्री अब्दुल हफीज आयु 55 साल,
निवासी – कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.) -- आवेदक

द्वारा-अभिभाषक
के.के. द्विवेदी

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/विविध/अनूपपुर/भू.रा./2017/2296

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
24 7.17	आवेदक अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित होकर धारा 152 व्यवहार प्रकिया संहिता के अधीन आवेदन पेश किया जिस पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। 2— प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.7.17 में उल्लेखित शब्द पुनश्च करके एवं दिनांक 7.7.17 को विलोपित कर उसके स्थान पर दिनांक 29.6.17 स्थापित किये जाने के आदेश दिये जाते है। यह आदेश पत्रिका आदेश की मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	